भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 188

जिसका उत्तर 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

मुद्रा ऋण

188. श्री दिलीप साईकिया:
श्री एस.वेंकटेशन:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री डी.के. सुरेश:
श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के अंतर्गत वितरित ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान देश में लाभार्थियों की श्रेणी-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को ऋण वितरित किया गया है और वितरित किए गए कुल ऋण में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त् अवधि के दौरान उक्त योजना के तहत ऋण वितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को समयबद्ध तरीके से मुद्रा ऋण के गैर-संवितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): विगत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई), जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, के द्वारा संवितरित ऋणों का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-1 और अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ख): विगत तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19तक) के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उधारकर्ताओं से संबंधित कुल 3,27,67,442 ऋण खातों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को 94,600 करोड़ रुपये की राशि (पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल संवितरित ऋणों का 13%) संवितरित की गयी है।

(ग): पीएमएमवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा एमएलआई को वार्षिक लक्ष्य दिये जाते हैं। एमएलआई के लिये निर्धारित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये 1,80,000 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये 2,44,000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 3,00,000 करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लक्ष्य आबंटित नहीं किये जाते हैं।

(घ): सरकार को समयबद्ध तरीके से ऋण का संवितरण नहीं करने सहित योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार के इस संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संबंधित एमएलआई के सहयोग से जिसका समाधान किया जाता है।

*****

अनुबंध -1

विगत तीन वर्ष के लिए, वर्ष-वार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण का श्रेणी-वार वर्गीकरण

[राशि करोड़ रुपये में]

	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19	
श्रेणी	खातों की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि	खातों की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि	खातों की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि
शिशु	36497813	83891.88	42669795	104228.05	51507438	139651.55
किशोर	2663502	51063.12	4653874	83197.09	6606009	99868
तरूण	539732	40357.13	806924	59012.25	1756871	72291.84
कुल	39701047	175312.13	48130593	246437.4	59870318	311811.38

स्रोत : मुद्रा पोर्टल पर सदस्य उधादात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध - 2

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किये ऋणों का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

[राशि करोड़ रुपये में]

		वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19	
क्र. सं.	राज्य का नाम	खातो की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि	खातो की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि	खातो की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए	संवितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3353	78.34	3829	100.26	3722	89.76
2	आंध्र प्रदेश	587569	5731.8	801845	10214.1	782707	10669.25
3	अरुणाचल प्रदेश	6109	78.67	11004	103.27	14455	114.16
4	असम	1255754	4824.54	1713004	6570.32	2422968	9798.33
5	बिहार	3756716	11585.63	4314861	15396.75	5999640	23068.32
6	चंडीगढ़	19039	221.26	18257	409.15	30015	412.43
7	छत्तीसगढ़	884941	3209.86	962079	4501.48	1201572	5567.35
8	दादरा एवं नगर हवेली	2587	22.61	3408	36.3	2900	43.91
9	दमन एंव दीव	774	12.08	1086	22.56	681	17.09
10	दिल्ली	224975	3700.51	241797	4357.35	737717	5633.83
11	गोवा	31289	372.78	39397	484.45	44781	477.24
12	गुजरात	1103453	7692.07	1501226	11202.52	1826207	12983.56
13	हरियाणा	716622	3697.59	786328	5745.03	1081972	7281.53
14	हिमाचल प्रदेश	82851	1214.02	91992	1801.44	119595	2192.2
15	जम्मू एवं कश्मीर	89712	1663.51	103125	2514.84	133078	3320.97
16	झारखंड	1023593	3908.99	1212671	5233.05	1436968	6700.23
17	कर्नाटक	3933578	17290.7	4568493	22500.67	5806936	29345.44
18	केरल	982260	6140.44	2289805	9282.57	2121319	11967.11
19	लक्षद्वीप	473	4.51	1044	11.53	626	5.66
20	मध्य प्रदेश	2683052	10191.91	2899123	14357.52	3282723	16792.33
21	महाराष्ट्र	3344154	16976.76	3596620	22266.2	4385981	25741.99
22	मणिपुर	21865	142.47	33186	200.68	86139	344.22
23	मेघालय	23915	185.74	28846	212.04	35574	263.36
24	मिजोरम	6973	90.31	12400	152.9	15858	215.86
25	नगालैंड	11051	103.83	14141	124.61	17448	151.57
26	ओडिशा	2606769	7600.68	3470312	11115.88	4164432	15284.62
27	पांडिचेरी	130360	485.49	150477	881.77	177772	1222.59
28	पंजाब	705569	4512.28	819836	6524.12	1182936	7975.54
29	राजस्थान	1204837	8823.3	1746748	13503.76	2727579	17007.35
30	सिक्किम	19865	96.54	21588	112.65	26688	202.38
31	तमिलनाडु	5309857	17756.39	5860165	24980.92	7440662	33807.87
32	तेलंगाना	482694	3780.49	789315	6430.81	982204	7660.88
33	त्रिपुरा	253807	968.55	399299	1460.6	441114	1826.48
34	उत्तर प्रदेश	3337547	14753.59	4401217	21174.46	4975961	24888.92
35	उत्तराखंड	286579	1913.88	254783	2480.09	303340	2844.74
36	पश्चिम बंगाल	4566505	15480.03	4967286	19970.76	5856048	25892.29
	अखिल भारतीय	**39701047**	**175312.13**	**48130593**	**246437.4**	**59870318**	**311811.38**

स्रोत : मुद्रा पोर्टल पर सदस्य उधादात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार